

I/202883/2022

संख्या-2076/81-2-2022-800(13)/2022

प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 22 अगस्त, 2022

विषय- जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय रूढ़ता-पीलीभीत सेक्शन के 731K किमी० 137.250 से 183.380 (पैकेज-IV) के निर्माण कार्य में प्रभावित 44.376 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 26427 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/49626/2020)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8 बी/यूपी/06/29/2022/एफसी/120 दिनांक 13.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई थी। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-421/11-सी/एफपी/यूपी/रोड/49626/2020 दिनांक 02.08.2022 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराया गई है।

2- अतएवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 02.08.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

Signed by आशीष तिवारी भवदीय,

Date: 18-08-2022 17:22:42

Reason: Approved (आशीष तिवारी)

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।

2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

सचिव